परियोजना निदेशक का कार्यालय,
समेकित जनजातीय विकास अभिकरण (आई0टी0डी0ए0),
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

अतिअल्पकालीन पुर्ननिविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 01/2021–22

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नांकित कार्य के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

01	विभाग	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
02	विज्ञापन दाता का नाम	परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
03	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि	दिनांक–03.09.2021 को अपराहन 03.00 बजे तक।
04	निविदा प्राप्त करने की तिथि एवं समय	दिनांक–06.09.2021 को अपराह्न 11.00 बजे तक।
05	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक–06.09.2021 को अपराह्न 03.00 बजे
06	परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
07	निविदा प्राप्ति का स्थान	आई0टी0डी0ए0 कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

08. कार्य की विवरणी

क0	प्रखंड का नाम	कार्य योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
01	जमशेदपुर	सिद्दु कान्हु उच्च विद्यालय, मानगो, जमशेदपुर परिसर स्थित अनुसूचित जनजाति 100 शैयया बालक छात्रावास जीर्णोद्वार कार्य।	24,80,600.00	50,000.00	5000.00	04 (चार) माह
02	पोटका	प्लस टू उच्च विद्यालय आसनबनी, पोटका परिसर स्थित अनुसूचित जनजाति 25 शैयया बालक छात्रावास जीर्णोद्वार कार्य।	35,93,100.00	72,000.00	5000.00	04 (चार) माह

निविदा की शर्ते :–

विशेष शर्तें आम शर्तों पर अवक्रमण होगा।

परिमाण विपत्र कय हेतु निम्नांकित शर्तों को पूरा करना होगा।

01. यह निविदा द्विःलिफाफा पद्वति के अंतर्गत आमंत्रित किया जाता है। निविदादाताओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफा में भर कर सील किया जायेगा एवं दोनों लिफाफों को एक लिफाफा में भरकर सील किया जायेगा। सर्व प्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी एवं तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता का ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। वित्तीय निविदा में दर अंकित किया जायेगा।

26/8/2021

02. तकनीकी निविदा के साथ (A) निबंधन प्रमाण–पत्र, (B) अग्रधन की राशि (C) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र/आचरण प्रमाण पत्र, (D) विगत तीन वर्षों का आयकर रिर्टन प्रमाण–पत्र, (E) अद्यतन जी0एस0टी रिर्टन प्रमाण–पत्र, (F) UCAN निबंधन प्रमाण–पत्र, (G) विगत तीन वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं (H) किसी भी विभाग से काली सूची में दर्ज नहीं किये जाने का शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

03. ग्रामीण कार्य विभाग में निबंधित संवेदक ही निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के कय हेतु निबंधन प्रमाण– पत्र की स्वः अभिप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।

04. परिमाण विपत्र का मूल्य (जो वापस नहीं होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से देय होगा।

05. समुचित श्रेणी के संवेदक निविदा में हिस्सा ले सकेगें।

06. किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

07. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है (दो प्रतिशत निकटतम हजार रूपये में परिवर्धित) डाक घर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा पासबुक समर्पित करना अनिवार्य होगा, जो परियोजना निदेशक, आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।

08. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

09. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयुक्त अन्य सामग्रियों की कीमत में वृद्वि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

10. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा, लेकिन किसी प्रकार का अंतर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।

11. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लधु खनिजों की आपूर्ति संवेदक को वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एवं एतद विषयक खनन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करने के उपरांत ही नियमानुसार विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

12. समुचित गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा–सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालू ईत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था कर संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। आई0टी0डी0ए0, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर किसी भी निर्माण सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में अंतर मूल्य का भुगतान नहीं होगा।

13. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या– 2146(S) दिनांक–09.09.2020 के द्वारा निर्धारित नियम अनुमान्य होगा।

14. निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगें, ऐसा पाये जाने पर उनका एकरारनामा विखंडित कर जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

15. कार्य आवंटित होने के पश्चात तीन दिनों के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा को रदद् कर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

16. बिना कारण बताये एक या सभी निविदा को रदद् करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी या विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

17. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।

18. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानुसार राशि कटौती कर ली जाएगी, एवं अपवादिक मामलों में तथा विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि की जायेगी।

19. 01 (एक) प्रतिशत राशि लेवर सेस वेलफेयर फंड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।

20. आयकर एवं बिक्रीकर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी जिसका समर्पण एवं वापसी की प्रक्रिया संबंधित विभाग से ही करा सकेंगें।

21. योजना प्रारंभ करने से पूर्व, योजना कार्यान्वयन के दौरान एवं योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का Geo Tagged Photography with LGD Code (Hard and Soft Copy) फोटोग्राफी कराकर संवेदक तीन तीन प्रतियों में कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगें।

22. कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचर स्थान पर एक पक्का सूचना पट कम से कम 3'X2' आकार में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व लगाना अनिवार्य होगा, जिसमें निम्नांकित विवरणी के साथ परियोजना निदेशक का कार्यालय, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड सरकार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत भी अंकित की जायेगी :–

    (A) योजना का नाम–

    (B) एकरारनामा की राशि–

    (C) मद का नाम–

    (D) कार्य प्रारंभ होने की तिथि–

    (E) संवेदक का नाम एवं निबंधन संख्या–

    (F) एकरारनामा की तिथि एवं उसके अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि–

    (G) शिलान्यासकर्त्ता का नाम एवं पदनाम–

26/8/2021

परियोजना निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।